"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012—चैत्र 1, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक 2336/डी. 86/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2012

वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये राज्य की संचित निधि में से 2,94,38,46,200/- रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए दो सौ चौरानबे करोड़, अड़तीस लाख, छियालीस हजार, दो सौ रुपये होता है वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, संदाय के अनुक्रम में आने वाले अनेक प्रभारों को चुकाने के लिये संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	1,62,000	1,62,000
03	पुलिस	राजस्व	33,18,20,000	0	33,18,20,000
04	गृहं विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	100	0	100
05	जेल	राजस्व	6,00,000	0	6,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	60,00,000	0	60,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	62,02,000	0	62,02,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	99,77,000	0	99,77,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,58,95,000	0	1,58,95,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,15,70,000	0	12,15,70,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	19,46,99,700	0	19,46,99,700
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	60,00,000	0	60,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	14,31,61,000	0	14,31,61,000
		पूंजी	6,00,00,100	0	6,00,00,100
18	श्रम	राजस्व	72,40,200	0	72,40,200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2,07,20,000	0	2,07,20,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	14,35,15,000	0	14,35,15,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	14,13,00,000	0	14,13,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	0	1,25,75,000	1,25,75,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,58,000	0	7,58,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	11,57,000	0	11,57,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	65,00,000	20,00,000	85,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	23,56,21,100	0	23,56,21,100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	21,65,000	0	21,65,000
3	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	2,02,40,000	0	2,02,40,000
36	परिवहन	राजस्व	79,60,000	0	79,60,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,96,000	0	2,96,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	34,85,73,000	0	34,85,73,000
		पूंजी	200	0	200
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,85,00,000	0	1,85,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	200	0	200
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	4,50,00,000	0	4,50,00,000
		पूंजी	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	26,70,000	0	26,70,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	3,00,04,000	0	3,00,04,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	87,73,07,900	0	87,73,07,900
		पूंजी	200	0	200
65	विमानन विभाग	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	4,46,56,000	0	4,46,56,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	200	0	200
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	4,40,00,000	0	4,40,00,000
		योग - राजस्व	**2,86,31,08,500**	**21,62,000**	**2,86,52,70,500**
		पूंजी	**6,60,00,700**	**1,25,75,000**	**7,85,75,700**
		वृहद योग	**2,92,91,09,200**	**1,47,37,000**	**2,94,38,46,200**

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक 2336/डी. 86/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2012)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2012

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2011-12.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty third year of the Republic of India, as follows :-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2012. **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of including the sums those specified in the column (3) of the schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, Two Hundred Ninety Four Crore Thirty Eight Lacs Forty Six Thousand Two Hundred Rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2011-2012 in respect of services specified in column (2) of the schedule. **Issue of Rs. 2,94,38,46,200/- from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2011-12.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purpose expressed in the Schedule in relation to the said year. **Appropriation.**

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote (1)	Services and Purposes (2)		Sums not exceeding (3): Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	0	1,62,000	1,62,000
03	Police	Revenue	33,18,20,000	0	33,18,20,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	100	0	100
05	Jail	Revenue	6,00,000	0	6,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Capital	60,00,000	0	60,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	62,02,000	0	62,02,000
08	Land revenue and district administration.	Revenue	99,77,000	0	99,77,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	1,58,95,000	0	1,58,95,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	12,15,70,000	0	12,15,70,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	19,46,99,700	0	19,46,99,700
15	Financial assistance to three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	60,00,000	0	60,00,000
17	Co-operation	Revenue Capital	14,31,61,000 6,00,00,100	0 0	14,31,61,000 6,00,00,100
18	Labour	Revenue	72,40,200	0	72,40,200
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	2,07,20,000	0	2,07,20,000
20	Public Health Engineering	Revenue	14,35,15,000	0	14,35,15,000
23	Water Resources Department	Revenue	14,13,00,000	0	14,13,00,000
24	Public works-roads and bridges.	Revenue Capital	100 0	0 1,25,75,000	100 1,25,75,000
25	Expenditure pertaining to Mineral Resources Department.	Revenue	7,58,000	0	7,58,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	11,57,000	0	11,57,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	65,00,000	20,00,000	85,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	23,56,21,100	0	23,56,21,100
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	21,65,000	0	21,65,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	2,02,40,000	0	2,02,40,000
36	Transport	Revenue	79,60,000	0	79,60,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Capital	100	0	100
40	Expenditure pertaining to Ayacut Department.	Revenue	2,96,000	0	2,96,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	34,85,73,000 200	0 0	34,85,73,000 200
45	Minor Irrigation Works	Revenue	1,85,00,000	0	1,85,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue	200	0	200
48	Administration Upgradation Grant Under Thirteenth Finance Commission.	Revenue Capital	4,50,00,000 100	0 0	4,50,00,000 100
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	26,70,000	0	26,70,000
56	Rural Industries	Revenue	3,00,04,000	0	3,00,04,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	87,73,07,900 200	0 0	87,73,07,900 200
65	Aviation Department	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	4,46,56,000	0	4,46,56,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	2,50,00,000	0	50,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	200	0	200
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	4,40,00,000	0	4,40,00,000
	Total	**Revenue**	**2,86,31,08,500**	**21,62,000**	**2,86,52,70,500**
		Capital	**6,60,00,700**	**1,25,75,000**	**7,85,75,700**
		Grand Total	**2,92,91,09,200**	**1,47,37,000**	**2,94,38,46,200**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.